

(GCF-9, 11, 12, 13, 14, 15, VCF-VDCF-SCF-3, VTW-1+Fnd, VDTW-1+Fnd, GTW-1+Fnd, STW-1+Fnd, JCC 12th+Foundation)
DATE: 03.05.2022 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3 Hours**

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions. Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer. Working Notes should from part of the answer.

Answer 1:

- (a) (a) हां, नविता के लिए उक्त ओपीसी में अपना नामांकन वापस लेना अनिवार्य है क्योंकि वह स्थायी रूप से भारत छोड़ रही है क्योंकि केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति जो एक भारतीय नागरिक है और भारत में निवासी है वह ओपीसी में नामित होगा। {2^{1/2} M}
- (b) हां, नविता उक्त ओपीसी में अपना नामांकन जारी रख सकती है, यदि उसने अपनी शादी के बाद भारत के निवासी की स्थिति को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 120 दिनों की अवधि के लिए भारत में रहकर बनाए रखा है। {2^{1/2} M}

Answer:

- (b) अनुबंध की विशिष्टता का सिद्धान्त :- यद्यपि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत किसी समझौते के लिए प्रतिफल किसी तृतीय पक्षकार द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन तृतीय पक्षकार समझौते पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। केवल अनुबंध का पक्षकार व्यक्ति ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसे ही अनुबंध की विशिष्टता का सिद्धान्त कहते हैं। {1 M}
- उदाहरण – पी जो क्यू का ऋणी है अपनी सम्पत्ति आर को बेचता है तथा आर ऋण की राशि को क्यू को चुकाने का वचन देता है। यदि आर भुगतान करने में असफल रहता है तो ऐसी परिस्थिति में क्यू को वाद दायर करने का अधिकार नहीं है क्योंकि आर अनुबंध के प्रति एक अजनबी है।
- उपरोक्त नियम कि अनुबंध के प्रति अजनबी व्यक्ति वाद दायर नहीं कर सकता है “अनुबंध की विशिष्टता का सिद्धान्त” कहलाता है जो कई अपवादों से भी ग्रस्त है। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि अनुबंध के प्रति अजनबी एक व्यक्ति निम्न मामलों में किसी दावे को प्रवर्तनीय करा सकता है:-
- (1) **प्रत्यास की स्थिति में**, एक हितप्राप्तकर्ता प्रत्यास में अधिकारों को लागू कर सकता है, जबकि वह निपटानकर्ता तथा प्रत्यासी के मध्य अनुबंध का एक पक्षकार भी नहीं था।
 - (2) **पारिवारिक निपटारे की स्थिति में**, यदि निपटान की शर्तें लिखित रूप में हैं, तो परिवार के सदस्य जो मौलिक रूप से निपटारे के पक्षकार नहीं हैं, समझौते को प्रवर्तनीय करा सकेंगे।
 - (3) **विशिष्ट विवाह अनुबंधों में**, एक महिला सदस्य अविभाजित परिवार के विभाजन पर वैवाहिक व्ययों की व्यवस्थाकी माँग कर सकती है।
 - (4) **अनुबंध के समर्पण (हस्तांतरण) के मामले में**, जब किसी अनुबंध के अन्तर्गत लाभ हस्तांतरण किया गया हो तो हस्तातरी अनुबंध को प्रवर्तनीय करा सकता है।
 - (5) **दायित्व को स्वीकार करके गत्यावरोध के मामले में** या उसकी आंशिक निष्पत्ति में अर्थात् जब कोई दायित्व को स्वीकार करता हो। उदाहरण के लिए ‘एल’ ‘एम’ को 2,000 रुपये ‘एन’ को देने के लिए देता है। ‘एम’ ‘एन’ को सूचना देता है कि मैंने तुम्हारी राशि को रखा हुआ है परन्तु बाद में ‘एम’ उक्त राशि देने से मना कर देता है तो ‘एन’ यह राशि उससे लेने के लिए पूर्णतः अधिकृत है।
 - (6) **किसी बेनामी भूमि के मामले में** जो व्यक्ति भूमि को इस सूचना के साथ क्रय करता है कि भूमि का स्वामी भूमि के स्वामित्व को प्रभावित करने वाले कुछ दायित्वों से जुड़ा हुआ है तो ऐसी बेनामी भूमि पर विक्रेता के उत्तराधिकारी द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है।
 - (7) **एक अभिकर्ता द्वारा किये गये अनुबंध** – मालधनी अपने अभिकर्ता द्वारा किये गये अनुबंधों का प्रवर्तनीय करा सकता है जहाँ अभिकर्ता ने अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमा में काम दिया है तथा मालधनी के नाम में किया हो। {1 M for each correct 6 pts.}

Answer 2:

- (a) निर्दिष्ट साझेदार (Designated Partner) [धारा 2(j)] - 'निर्दिष्ट साझेदार' जो धारा 7 के अनुसार—LLP अधिनियम 2018 की धारा 7 के अनुसार— {1/2 M}
- (i) प्रत्येक सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) में कम से कम दो नामजद साझेदार अवश्य होंगे जो व्यक्ति हैं (individuals) तथा उनमें से कम से कम एक भारत में निवासी होगा।
- (ii) यदि सीमित दायित्व साझेदारी में, सभी साझेदार समामेलित संस्था है या जिसमें एक या अधिक साझेदार व्यक्ति तथा समामेलित संस्थाएँ हैं, कम से कम दो ऐसे व्यक्ति जो ऐसी सीमित दायित्व साझेदारी के साझेदार हैं या ऐसी समामेलित संस्थाओं के नामित (nominees) व्यक्ति हैं नामजद साझेदारों (designated partners) के रूप में काम करेंगे। {1 1/2 M Each}
- (iii) भारत में निवासी (Resident in India)- इस धारा के उद्देश्यार्थ, यह "भारत में निवासी" का अर्थ है एक व्यक्ति जो तुरन्त पूर्व के एक वर्ष के दौरान भारत में 182 दिन से कम न होने वाली अवधि के लिए भारत में रहा है।

Answer:

- (b) फर्म का समापन (Dissolution of Firm)- फर्म के समापन का अर्थ है सभी साझेदारों के बीच विद्यमान वैधानिक संबंधों की समाप्ति परन्तु जब केवल एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा वह मृत्यु के कारण, दिवालिया होने या पागलपन के कारण साझेदार के रूप में कार्य करने में अक्षम हो जाता है, तब साझेदारी अर्थात् उक्त साझेदार के तथा अन्य साझेदारों के बीच संबंध समाप्त हो जाता है। परन्तु शेष साझेदार व्यापार को पुनर्गठित फर्म के रूप में जारी रखने का निर्णय कर सकते हैं। इस प्रकार के मामलों में वास्तव में प्रचलन के अनुसार फर्म का समापन नहीं होता। कथित साझेदार फर्म से अलग हो जाता है परन्तु शेष साझेदार व्यापार को चालू रख सकते हैं। इसके विपरीत, फर्म के समापन होने की स्थिति में, सम्पूर्ण फर्म का विघटन हो जाता है अर्थात् प्रत्येक साझेदार की एक दूसरे के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाती है। {1 M}

फर्म का समापन अंजाम पा सकता है (Dissolution of a Firm May Take Place) (धारा 39–44)

- (अ) सभी साझेदारों के बीच किसी ठहराव के परिणामस्वरूप (अर्थात् ठहराव द्वारा समापन), {1 M}
- (ब) सभी साझेदारों के या एक को छोड़कर सभी साझेदारों के दिवालिया घोषित किये जाने पर, {1 M}
- (स) फर्म के व्यवसाय का गैरकानूनी हो जाना (अर्थात् अनिवार्य समापन), {1 M}
- (द) पक्षकारों के बीच ठहराव की शर्त पर, किन्हीं आकस्मिकताओं के घटित होने पर, जैसे (i) समय बीतने पर, (ii) उस उपक्रम के पूरा होने पर जिसके लिए उसका गठन हुआ था, (iii) किसी साझेदार की मृत्यु, (iv) किसी साझेदार के दिवालिया होने पर। {1 M}
- (ई) किसी साझेदार द्वारा फर्म के समापन हेतु अपनी भावना का नोटिस देकर, स्वैच्छिक साझेदारी की दशा में, तथा फर्म नोटिस में उल्लिखित तिथि से फर्म का समापन किया जा रहा है, या यदि कोई तिथि नहीं लिखी जाती है तो नोटिस के संवहन की तिथि से। {1 M}
- (फ) निम्न की दशा में न्यायालय के हस्तक्षेप द्वारा— (i) किसी साझेदार के पागली हो जाने पर, (ii) अपने कर्तव्यों के निष्पादन हेतु किसी साझेदार की स्थायी अपंगता, (iii) व्यवसाय को प्रभावित करने वाला किसी साझेदार का दुराचरण, (iv) किसी साझेदार द्वारा जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक या लगातार ठहराव का उल्लंघन, (v) किसी साझेदार के सम्पूर्ण हित का विक्रय या अन्तरण, (vi) व्यवसाय को हानि के बिना चलाया जाना एकदम असम्भव सा लगना, (vii) न्यायालय की संतुष्टि कि किसी साम्य आधार पर फर्म को समाप्त कर दिया जाये। {2 M}

Answer 3:

- (a) स्वीकृति के चुप रहने से प्रस्ताव को गर्भित रूप से स्वीकृत नहीं माना जा सकता चाहे प्रस्ताव में भी इसका उल्लेख हो। जब तक स्वीकृति अपने व्यवहार द्वारा यह प्रदर्शित न करे कि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, प्रस्ताव स्वीकृत नहीं माना जा सकता। अतः इस मामले में यदि B चुप रहता है तो इसे प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता (फेल्टहाउस बनाम बिंदले) {2 M}

स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट समय में दी जानी चाहिए। निर्दिष्ट समय के बीतने के बाद दी गई स्वीकृति इसे अनुबंध में परिवर्तित नहीं कर सकेगी। अतः एक सप्ताह बाद वाली स्वीकृति भी मान्य नहीं होगी, क्योंकि यह स्वीकृति उचित समय में नहीं दी गई है। (रामसगेट विक्टोरिया होटल बनाम मोन्टेफियोरे) {2 M}

Answer:

- (b) कम्पनी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सार्वजनिक कम्पनी के स्थिति में एक कम्पनी जायज उद्देश्य के लिए सात एवं अधिक लोगों के द्वारा, निजी कम्पनी की स्थिति में दो एवं अधिक लोगों के द्वारा एक व्यक्ति कम्पनी की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा निगमित की जा सकती है। इस प्रकार कम्पनी गैर कानूनी उद्देश्य एवं गैर कानूनी व्यवसाय करने के लिए निगमित नहीं की जा सकती है। {1 M}
- धारा 9 के अनुसार निगमन की तिथि से सीमा नियम के अभिदानकर्ता एवं अन्य सदस्य जो समय-समय पर कम्पनी के सदस्य हो सकते हैं, सीमानियम में शामिल नाम के अधीन एक निगमित निकाय होंगे। ऐसी पंजीकृत कम्पनी इस अधिनियम के अधीन निगमित कम्पनी के सभी कार्यों को करने के लिए समर्थ होगी। इस अधिनियम के अनुसार कम्पनी वैध उद्देश्य के लिए गठित की जा सकती है इस प्रकार कम्पनी गैर कानूनी व्यवसाय के लिए गठित नहीं की जा सकती है। {1 M}
- वर्तमान प्रकरण में यह रजिस्ट्रार का दोष है कि उसने कम्पनी को निगमन प्रमाण-पत्र जारी किया, परन्तु निगमन प्रमाण-पत्र जारी करना कम्पनी को यह अधिकार नहीं देता कि वह गैर कानूनी व्यवसाय करें। यदि वर्तमान समस्या में उपरोक्त प्रावधानों को लागू किया जाता है, तो कम्पनी का तर्क गलत है यद्यपि निगमन का प्रमाणपत्र एक निश्चयात्मक प्रमाण होता है कि पंजीकरण कर दिया है जिसका अभिप्राय होता है कि यह निश्चयात्मक प्रमाण है कि कम्पनी अधिनियम की सभी अपेक्षाएँ पूरी कर ली गयी है, जोकि कम्पनी के निगमन के लिए आवश्यक है का अनुपालन हो गया है और अब यह कम्पनी वैधानिक रूप से अस्तित्व में आ गयी है पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि सभी उद्देश्य वैधानिक हैं। **बोमैन बनाम सैकुलन सोसायटी लि.** में न्यायालय ने निर्णय दिया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सारे उद्देश्य या उसमें कुछ उद्देश्य जोकि पार्षद सीमानियम में दिये गये हैं यदि वह अवैधानिक है तो निगमन प्रमाण-पत्र के जारी हो जाने से वैधानिक हो जायेंगे। इसलिए कम्पनी का यह तर्क कि उसके द्वारा किये जा रहे व्यवसाय की प्रकृति की जाँच निगमन प्रमाण-पत्र जारी हो जाने के उपरान्त नहीं हो सकती है यह तर्क मान्य नहीं है। फिर भी रजिस्ट्रार के पास उद्देश्य की अवैधता ही पर्याप्त आधार है कि वह अपनी गलती का सुधार करें एवं स्वयं आवश्यक कदम उठाये ताकि कम्पनी का पंजीकरण रद्द हो जाए। {2 M}

Answer:

- (c) X विक्रेता पर विक्रय अधिनियम, 1930 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। क्योंकि सामान्य नियम है “क्रेता सावधान रहो” X को यह पूछना चाहिए था कि क्या हार वास्तविक मोतियो का बना है तब यदि विक्रेता चुप रहता तो X वाद प्रस्तुत कर सकता है। {3 M}
- क्रेता का दायित्व है कि वह वस्तु खरीदते समय सतर्क रहे यदि उसकी लापरवाही से कोई नुकसान होता है तो वह स्वयं जिम्मेदार है विक्रेता नहीं। (धारा 16) {1 M}

Answer 4:

- (a) **गारंटी द्वारा सीमित कंपनी:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(21) इसे कंपनी के रूप में परिभाषित करती है, जिसके सदस्यों की देयता ज्ञापन द्वारा सीमित होती है, जैसा कि सदस्य कमशः ज्ञापन द्वारा सम्पत्ति में योगदान करने के लिए वचनबद्ध हो सकते हैं। कंपनी के बंद होने की स्थिति में। इस प्रकार, गारंटी कंपनी के सदस्य का दायित्व ज्ञापन में उल्लिखित एक निर्धारित राशि तक सीमित है। सदस्यों को उस निर्धारित राशि से अधिक योगदान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। {3 M}
- गारंटी कंपनी और शेयर पूंजी वाली कंपनी के बीच समानताएं और असमानताएं:**
एक ‘गारंटी कंपनी’ और ‘शेयर कंपनी’ के बीच सामान्य विशेषताएँ कानूनी व्यक्तित्व और सीमित देयता हैं। बाद के मामले में, सदस्य का दायित्व उस शेयर पर बकाया राशि तक सीमित होता है, जो प्रत्येक सदस्य के पास होता है। दोनों को अपने ज्ञापन में यह बताना है कि सदस्यों की देयता सीमित है। {3 M}

हालाँकि, इन दो प्रकार की कंपनियों के बीच अंतर की बात यह है कि पूर्व मामले में सदस्यों को केवल समापन के शुरू होने के बाद और केवल कुछ शर्तों के अधीन अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन बाद के मामले में, उन्हें किसी भी समय, कंपनी के जीवनकाल के दौरान या इसके समापन के दौरान ऐसा करने के लिए कहा जा सकता है।

Answer:

- (b) (i) "कैवित एम्टर" के सिद्धांत के अनुसार क्रेता की ड्यूटी: माल की बिक्री के मामले में, सिद्धांत 'कैवित एम्टर' का अर्थ है 'क्रेता सावधान रहो'। जब विक्रेता खुले बाजार में अपना माल प्रदर्शित करता है तो यह क्रेता का कर्तव्य है कि वह माल का उचित चयन करें। यदि माल खराब हो जाता है तो वह विक्रेता को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है। विक्रेता किसी भी तरह से क्रेता के खराब चयन के लिए जिम्मेदार नहीं है। विक्रेता जो माल बेच रहा है उसमें दोषों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है।
- विक्रेता के कर्तव्य "कैवित एम्टर" के सिद्धांत के अनुसार: कैवित एम्टर के निम्नलिखित अपवाद विक्रेता के कर्तव्य हैं:
1. गुणवत्ता या उपयोग के रूप में उपयुक्तता
 2. पेटेंट या ब्रांड नाम के तहत खरीदा गया माल
 3. विवरण द्वारा बेचा गया माल
 4. माल की गुणवत्ता
 5. नमूना द्वारा बिक्री
 6. नमूने के रूप में अच्छी तरह से विवरण के द्वारा माल
 7. व्यापार का उपयोग
 8. विक्रेता सक्रिय रूप से एक दोष छुपाता है या धोखाधड़ी का दोषी है
- (ii) जैसा कि श्री दास ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि उन्हें लकड़ी की आवश्यकता थी जो लकड़ी के दरवाजे और खिड़की के फ्रेम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी, लेकिन विक्रेता ने मैंगो ट्री की लकड़ी की आपूर्ति की जो उद्देश्य के लिए सबसे अनुपयुक्त है। श्री दास अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए धन वापस या सही प्रकार की लकड़ी प्राप्त करने के हकदार हैं। विक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे सामानों की आपूर्ति करे जो खरीदार द्वारा बताए गए उद्देश्य के लिए यथोचित रूप से उपयुक्त हों। (वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 16)।

Answer 5:

- (a) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 43 के अनुसार जब एक या एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त वचन देते हैं तो वचनगृहीता (विपरीत करार न होने की दशा में) ऐसे किसी एक अथवा एक से अधिक वचनदाताओं को सारा अनुबंध पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है ऐसी दशा में अनुबंध का निष्पादन करने वाले संयुक्त वचनदाता अन्य संयुक्त वचनदाताओं से अंशदान की मांग कर सकते हैं यदि एक अथवा एक से अधिक संयुक्त वचनदाता असफल रहते हैं तो बाकी के संयुक्त वचनदाता इस कारण से होने वाली हानि को बराबर-बराबर सहन करेंगे।
- इस प्रश्न में संजय को 50,000 रु. विजय की सम्पत्ति में से एवं 2,75,000 रु. अजय से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

Answer:

- (b) इस प्रश्न में पूछी गयी समस्या वैध अनुबंध की मूल आवश्यकता पर आधारित है वैध अनुबंध की मूल आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी अनुबंध ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अवैधानिक हो तथा अवैध हो या शून्य हो। अवैध अनुबंध का कोई वैधानिक या कानूनी प्रभाव नहीं होता है इसलिए कोई अनुबंध जो किसी व्यापार, विवाह या किसी वैधानिक कार्यवाही पर किसी प्रकार की रोक लगाता है वह अनुबंध शून्य और अवैध होगा।

इसलिए मि. X. मि. सेठ द्वारा किए गए वायेद के रु. 5 लाख वसूल नहीं कर सकता है क्योंकि उन्हीं में एक अवैध अनुबंध किया था जिसे किसी न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता है। यह लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ है। {1 M}

Answer:

- (c) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 20 के अनुसार एक फर्म आपसी अनुबंध के द्वारा साझेदार के गर्भित अधिकार को बढ़ा भी सकती है और रोक भी सकती है। परन्तु यह गर्भित अधिकार जो बढ़ाया गया है अथवा सीमित किया गया है यह तृतीय पक्षकार के प्रति तभी बाध्यकारी होगा यदि निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होगी। {2 M}
1. तृतीय पक्षकार को इन बाधाओं के बारे में पता है, तथा
 2. तृतीय पक्षकार को यह नहीं पता है कि जिससे वे अनुबंध कर रहे हैं वह फर्म का साझेदार है।
- उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार हम कह सकते हैं कि M ने जो फर्नीचर A को बेचा था उसके लिए वह फर्म से अपने पैसों की मांग कर सकता है क्योंकि उसको अनुबंध की जानकारी नहीं थी जो अभी-अभी साझेदारों के मध्य हुआ है। {1 M}
- परन्तु द्वितीय दशा में M को उस अनुबंध की जानकारी है इसलिए वह फर्म से पैसा नहीं मांग सकता है। {1 M}

Answer 6:

- (a) संयोगिक अनुबंध व बाजी के ठहराव में अन्तर निम्न प्रकार से किया जा सकता है :-

संयोगिक अनुबंध तथा बाजी के ठहराव**(CONTINGENT CONTRACT AND WAGERING AGREEMENT)**

क्र. सं.	अन्तर का आधार	संयोगिक अनुबंध	बाजी वाले ठहराव
1.	अर्थ	एक संयोगिक अनुबंध किसी सामपार्श्विक घटना के घटित होने या न घटने के संदर्भ में कुछ करने या न करने का एक अनुबंध है।	एक बाजी वाला ठहराव किसी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने के संदर्भ में मुद्रा या मुद्रातुल्य देने का वचन होता है।
2.	व्युत्क्रम वचन	संयोगिक अनुबंध हो सकता है व्युत्क्रम वचनों का समावेशन करें।	एक बाजी वाला ठहराव व्युत्क्रम वचनों का समावेश करता है।
3.	अनिश्चित घटना	एक संयोगिक अनुबंध में, घटना सामपार्श्विक होती है।	एक बाजी वाले अनुबंध में, अनिश्चित घटना ही अहम घटक होती है।
4.	अनुबंध की प्रकृति	संयोगिक अनुबंध प्रकृति में बाजी का अनुबंध नहीं हो सकता है।	एक बाजी वाला ठहराव प्रकृति में अनिवार्यतः संयोगिक होता है।
5.	अनुबंध करने वाले पक्षकारों का हित	अनुबंधनकारी पक्षकारों का संयोगिक अनुबंध की विषय वस्तु में हित होता है।	अनुबंधनकारी पक्षकारों का विषयवस्तु में कोई हित नहीं होता।
6.	हानि या लाभ की पारस्परिकता का सिद्धांत	संयोगिक अनुबंध हानि या लाभ की पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित नहीं होते।	एक बाजीवाला अनुबंध एक खेल है जिसमें हार-जीत ही मायने रखता है।
7.	अनुबंध का प्रभाव	संयोगिक अनुबंध वैध होते हैं।	बाजीवाला ठहराव व्यर्थ होता है।

{1 M
for each
valid
6 pts.}

Answer:

- (b) Nemo dat Quod Non Habet नियम क अपवाद—
अपवाद—निम्नलिखित स्थितियों में एक व्यक्ति मालिक न होने पर भी मूल्य के लिए वस्तुओं का सुपात्र खरीदार को अपेक्षाकृत श्रेष्ठ अधिकार प्रदान कर सकता है।
- (1) व्यापारिक एजेंट द्वारा विक्रय— व्यापारिक एजेंट के द्वारा माल के विक्रय अथवा माल सम्बन्धी अधिकार पत्रों का विक्रय करने पर क्रेता को निम्नलिखित स्थितियों में श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होगा :

- (अ) यदि वह स्वामी की स्वीकृति अथवा सहमति से माल को अथवा दस्तावेजों को जो अपने अधिकार में रखे हुए था—
- (ब) जब उसने विक्रय एक व्यापारिक एजेंट के रूप में व्यापार के सामान्य व्यवहार के अधीन किया गया था, और
- (स) यदि क्रेता ने, सद्भावनापूर्वक क़य किया था और अनुबंध किये जाने के समय उसे इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि विक्रेता को माल को बेचने का अधिकार नहीं था (धारा-27 का प्रावधान)।
- (2) सहस्वामियों में से किसी एक के द्वारा विक्रय— यदि सहस्वामियों में से किसी एक के पास अन्य स्वामियों की अनुमति से माल कब्जे में है, तब माल की सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति हस्तांतरित हो सकती है जो उसे ऐसे सहस्वामी से सद्भाव से खरीदता है और जिसको अनुबंध के समय यह पता नहीं है कि सहस्वामी (विक्रेता) का बेचने का अधिकार नहीं है (धारा-28)।
- (3) एक व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत माल पर अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय— एक क्रेता को विक्रेता द्वारा बेचे गये माल पर श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होगा, जब विक्रेता ने स्वयं बल प्रयोग, कपट, मिथ्यावर्णन अथवा समुचित प्रभाव के आरोप के अधीन व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत माल पर अधिकार प्राप्त किया और अनुबंध रद्द किए जाने से पूर्व ही वह माल ऐसे क्रेता को बेच देता है जो सद्दिश्वास से एवं विक्रेता के अधिकार में दोष जाने बिना उसे खरीद लेता है। (धारा 29)।
- (4) ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्रय जो पहले ही माल बेच चुका है लेकिन उसका कब्जा अभी उसी के पास चल रहा है— यदि एक व्यक्ति माल बेच चुका है लेकिन उनका या उनके स्वामित्व के प्रपत्रों का कब्जा अभी भी उसी के पास है तो वह एक तृतीय पक्षकार को माल बेच सकता है तथा यदि ऐसा व्यक्ति सद्भावना में तथा पूर्व विक्रय की किसी जानकारी के बिना माल की डिलीवरी लेता है तो उसको माल पर श्रेष्ठ अधिकार मिल जायेगा। भले ही माल में स्वामित्व पहले ही प्रथम क्रेता को अन्तरित हो चुका था। कब्जाधारी विक्रेता द्वारा माल या स्वामित्व के प्रपत्रों का रहन या अन्य कोई निपटारा समान रूप से वैध माना जाता है। (धारा 30(1))
- (5) माल का स्वामित्व उसको अन्तरित होने से पूर्व ही कब्जाधारी क्रेता द्वारा विक्रय— जहाँ एक क्रेता विक्रेता की सहमति के साथ उसको माल का स्वामित्व स्थानांतरण होने से पूर्व ही माल का कब्जा पा जाता है तो वह माल को एक तृतीय पक्षकार को बेच सकता है, गिरवी रख सकता है या अन्यथा निपटारा कर सकता है तथा यदि ऐसा व्यक्ति सद्भावना में तथा माल के संबंध में मूल विक्रेता के गिरवी या अन्य अधिकार की जानकारी के बिना डिलीवरी पाता है तो उसको माल पर श्रेष्ठ अधिकार मिल जायेगा। (धारा 30(2))
- (6) अदत्त विक्रेता द्वारा विक्रय— जब अदत्त विक्रेता माल पर पूर्वाधिकार या मार्ग में माल रोकने के अधिकार का प्रयोग करके माल पर कब्जा प्राप्त कर लेता है तथा ऐसे माल का पुनः विक्रय करता है तो उसे मूल क्रेता के विरुद्ध माल के प्रति श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होते हैं। (धारा 54(3))
- (7) अन्य अधिनियमों के अंतर्गत विक्रय—
- (i) किसी कम्पनी के सरकारी प्रापक और समापक के द्वारा विक्रय से क्रेता का एक वैध एवं श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होते हैं।
 - (ii) माल को ढूँढने वाला व्यक्ति पाए माल को बेच सकता है तब क्रेता को विक्रेता से श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होते हैं।
 - (iii) गिरवीगृहीता द्वारा विक्रय क्रेता को एक श्रेष्ठ अधिकार प्रदान कर सकता है। (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 176 के अंतर्गत)।

{1 M
for each
correct
6 pts.}

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)**Answer 7:****(a)****Answer Sheet**

1.	2.	3.	4.	5	(1 Mark Each)
(B)	(D)	(D)	(C)	(B)	

Answer:

- (b)** Visual communication is effected through visual aids such as signs, typography, drawing, graphic design, illustration, color and other electronic resources usually reinforces written communication. It is a powerful medium to communicate. Thus print and audio-visual media makes effective use of adverts to convey their message. Visuals like videos graphs, pie charts and other diagrammatic presentations convey clearly and concisely a great deal of information. **{1 M}**

Answer:

- (c)** (i) d
(ii) c
(iii) By whom was this essay written?
(iv) Sheila exclaimed in wonder that Seema was smart. **{1 Mark Each}**

Answer 8:

- (a)** A communication network refers to the method and pattern used by members of an organization to pass on information to other employees in the organization. Network helps managers create various types of communication flow according to requirement of the task at hand. Some companies have established and predefined networks of communication for specified venture. **{1 M}**

Answer:


- (b)** (i) a
(ii) c
(iii) A pen is used by Rajesh to sketch figures.
(iv) Elders always say that if you work hard, you will succeed. (Universal truth) **{1 Mark Each}**

Answer:

- (c)** Circular No. XI 24th April, 2022
- Dismissal of staff member
- For all employees
- This is to inform that Mr. PQR, holding the position of Sales Head has been suspended from his responsibilities due to multiple charges of misappropriation of office funds against him. He is currently at large and avoiding police arrest. Staff is instructed to immediately report any information/clue about him to the undersigned. **{3 M}**
- Simran Jain
Head , HR.
- {2 M}**

Answer 9:**(a) The process of communication entails :**

1. The purpose or reason for the communication.
 2. The framing of the content of the message
 3. The medium used for conveying the message. (For example, internet, written text, speech, pictures, gestures and so on).
 4. Transmitting the formulated message.
- } {1 M}
5. Messages are often misinterpreted due to external disturbances such as noise created by humans, traffic and natural forces. These factors can result in miscommunication.
 6. Receiving the message.
 7. Deciphering and making sense of the message. decode
 8. Interpreting and figuring out what the receiver thinks is the real message.
- } {1 M}

**Answer:**

- (b)** (i) (1) Plentiful {1 M}
- (ii) (1) Elaborate {1 M}
- (iii) Reena commented/said that nobody could solve the problem on the earth. {1 M}

Answer:**(c) Précis':**

Exploring ancient DNA: Innovations and Findings {1 M}


Contrary to their earlier belief, in the late 1980s, scientists/researchers could search for remnants of DNA that existed in the primitive era/times after the development of the PCR technique (Polymerase Chain Reaction) that could copy minute quantities of DNA. {2 M}

More recently, researchers have isolated DNA from 20-million-year-old magnolia leaves and successfully extracted DNA from a 135-million-year-old weevil found in amber. Microbiologist Scoot R. Woodward with his team were the first to find genetic material belonging to a dinosaur. He pulled two bone fragments from a Cretaceous siltstone layer from the top of a coal seam from which researchers isolated strands of DNA and used PCR to copy a segment that codes for a protein called Cytochrome b. DNA sequence was determined from the copies. Due care was taken to avoid contamination of samples with modern DNA. Evidence indicated that the samples found belonged to one or two dinosaur species. {2 M}

Answer 10:

- (a) Communication pattern that follows the chain of command from the senior to the junior is called the chain network. Communication starts at the top, like from a CEO, and works its way down to the different levels of employees. The supervisor/ manager/ CEO gives commands or instructions to those working under him/her in the organization. {1 M}

B, C, D and E, F, G are the subordinates to A in the organizational hierarchy and receive commands from 'A' as shown in the diagram. The chain network often takes up time, and communication may not be clear. {1 M}

**Answer:**

- (b) (i) (2) Two people are required for creating mischief. {1 M}
 (ii) (4) Make a big issue out of a small thing. {1 M}
 (iii) The police inspector will give them a ticket for over speeding. {1 M}
 (iv) (3) Many {1 M}

Answer:

- (c) **Letter:**

From:
 ABC Private Limited,
 Nariman Point, Mumbai

November 13, 2019

XYZ Bank
 106 Millenium Tower
 Prashant Lok
 Mumbai-02

Sir/Madam,

{1 M}

Subject: Request to Stop Payment of the Cheque No. xxxxxx

On behalf of ABC Pvt Ltd, I request you to stop payment of the cheque number xxxxxx issued against our company Bank Account Number 123-456-789 maintained by your branch. This cheque was issued to our vendor PQR Ltd amounting to Rs. 3 Lakh dated XX/XX/XXXX and has been misplaced as reported by their accounts department. We will issue a new cheque after your response. {2 M}

Thanks for your cooperation.

Regards,
 ASD

Senior Manager, Accounts

{1 M}

Answer 11:

(a) XYZ Bank
Sector-19
Nerul
Navi Mumbai-06
10 December, 20XX

Chief Finance Officer
XP Ltd
Dadar
Mumbai-14

Dear Sir/Ma'am,

Subject: Opening of our New Branch at Nerul, Navi Mumbai

{1 M}

We are happy to announce the grand opening of our bank's 150 branch in the Nerul, Navi Mumbai.

As a privileged customer, we are pleased to offer you extra benefits for an account opening in the new branch.

The new branch has locker facility and six ATM machines in your area. In view of our long-term association, we would not charge you any fees for locker facility. Kindly visit the new branch. Contact details are given below:

{3 M}

88, Jame Jamshed Road
Dadar
Ph.: 011-255-90000
Mumbai-14

Yours
R.P. Aneja
(Branch Manager)

{1 M}

Answer:

(b) The Characteristics of Effective Communication:

Communication for humans is akin to breathing. From the first cry of the baby to the last breath of a person, communication is an essential part of life. However, good communication is an art that has to be developed and honed. Effective communicators practice every aspect of the skill frequently.

It is a fact that our everyday communication is often marred by confusion, misunderstandings, misconceptions, partial understanding and obscurity. Thus, several aspects must be kept in mind while interacting with others for our communication to convey the intended message.

1. Clear: Any spoken or written communication should state the purpose of message clearly. The language should be simple. Sentences ought to be short as the core message is lost in long, convoluted sentences. Each idea or point must be explained in a separate bulleted point or paragraphs. Make it easy for the reader to grasp the intent of the communiqué.
2. Concise: Brevity is the essence of business communication. No one has the time to read long drawn out essays. Besides, the core content is lost in elaborate details. Avoid using too many irrelevant words or adjectives, for example, 'you see', 'I mean to say', etc. Ensure that there are no repetitions.

{Any 3 points each 1 M}

3. Concrete: The content of your communiqué should be tangible. Base it on facts and figures. Abstract ideas and thoughts are liable to misinterpretation. Make sure that there is just sufficient detail to support your case/ argument and bring focus to the main message
4. Coherent: Coherence in writing and speech refers to the logical bridge between words, sentences, and paragraphs. Main ideas and meaning can be difficult for the reader to follow if the writer jumps from one idea to another and uses contradictory words to express himself. The key to coherence is sequentially organized and logically presented information which is easily understood. All content under the topic should be relevant, interconnected and present information in a flow.
5. Complete: A complete communication conveys all facts and information required by the recipient. It keeps in mind the receiver's intellect and attitude and conveys the message accordingly. A complete communication helps in building the company's reputation, aids in better decision making as all relevant and required information is available with the receiver.
6. Courteous: Courtesy implies that the sender is polite, considerate, respectful, open and honest with the receiver. The sender of the message takes into consideration the viewpoints and feelings of the receiver of the message. Make sure nothing offensive or with hidden negative tone is included.
7. Listening for Understanding: We are bombarded by noise and sound in all our waking hours. We 'hear' conversations, news, gossip and many other forms of speech all the time. However, most of it is not listened to carefully and therefore, not understood, partially understood or misunderstood. A good listener does not only listen to the spoken words, but observes carefully the nonverbal cues to understand the complete message. He absorbs the given information, processes it, understands its context and meaning and to form an accurate, reasoned, intelligent response.
The listener has to be objective, practical and in control of his emotions. Often the understanding of a listener is coloured by his own emotions, judgments, opinions, and reactions to what is being said. While listening for understanding, we focus on the individual and his agenda. A perceptive listener is able to satisfy a customer and suggest solutions as per the needs of the client
8. Focus and Attention: Everyday work environment has multiple activities going on simultaneously. The ringing of the phone, an incoming email, or a number of tasks requiring your attention, anxiety related to work, emotional distress etc. can distract you. Such distractions are detrimental to the communication process with an individual or a group of people. You may overlook or completely miss important points or cues in the interaction. Thus, keeping your focus and attention during the communiqué is imperative for effective communication.
9. Emotional Awareness and Control: "Human behavior is not under the sole control of emotion or deliberation but results from the interaction of these two processes," Loewenstein said.
However, emotions play a major role in our interactions with other people. They are a powerful force that affect our perception of reality regardless of how hard we try to be unbiased. In fact, intense emotions can undermine a person's capacity for rational decision-making, even when the individual is aware of the need to make careful decisions.
Consequently, emotional awareness is a necessary element of good communication. While interacting with another person or a group, it is important to understand the emotions you and he/ she/ they are bringing to

the discussion. Managing your own and others emotions and communicating keeping in mind the emotional state of others helps in smooth interaction and breakdown of the communication process.

Answer:

- (c)** Select the suitable antonym for the given words. } **{Each Point 1 M}**
1. (c)
 2. (b)

__ ** __